## आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

छोटानागपूर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)a के तहत

## आर०एम० वाद सं०-ST-05/2014-15

श्री बिन्दा उराँव	विक्रेता
ब	नाम
मंगल उराँव	क्रेता

27.12.22

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, बुण्डू के द्वारा इस वाद में जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। उक्त वाद में विक्रेता एवं क्रेता को इस न्यायालय के ज्ञापांक—1309(ii)/रा० दिनांक—06.12.2022, एवं ज्ञापांक—1370(ii)/रा० दिनांक—17.12.2022, के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। जिसके पश्चात भी विक्रेता/क्रेता न्यायालय में अनुपस्थित है। विक्रेता बिन्दा उराँव पिता—स्व० भोला उराँव, ग्राम—नवाडीह, पो०—नवाडीह, थाना—बुण्डू, जिला—राँची, झारखण्ड एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रामचरण महतो द्वारा इस अनुमित वाद में किसी भी तरह की पैरवी नही की जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि विक्रेता/क्रेता को इस अनुमित वाद में किसी प्रकार की कोई अभिक्तिच नही है।

अतः ऐसी परिस्थित में उपरोक्त अनुमति की कार्यवाही समाप्त की जाती

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नवाडीह	स० बुण्डू / 74	05	457	12 डी०

लेखापित एंव संशोधित।

है।

भूमि सुधार उप प्रमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।